न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 63/2023

वादी :-

1. चिमनाराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी वार्ड नं. 1 बगरू की खान नहर के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कुन्नाराम पुत्र देवाराम
2. हिम्मताराम पुत्र देवाराम
3. राकेश पुत्र गेनाराम
4. विनोद पुत्र गेनाराम
5. जगदीश पुत्र गेनाराम
6. श्रीमति गीतादेवी पत्नी गेनाराम
7. श्रीमति जिमनाई पत्नी देवाराम जातियान सीरवी निवासीगण चावण्डिया हाल मुकाम निवासी वार्ड नं. 1 बगरू की खान नहर के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
8. सुराराम पुत्र उर्जाराम
9. भंवरलाल पुत्र जोगाराम जातियान सीरवी निवासीगण वार्ड नं.1 बगरू की खान नहर के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
10. श्रीमति अचकी देवी पुत्री मंगलीदेवी पत्नी लाबूराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाडा
11. श्रीमति कंवरी पुत्री मंगली देवी पत्नी ओगडराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर
12. श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी मंगलीदेवी पत्नी रूपाराम जाति सीरवी निवासी गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली
13. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिलाडा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 14- सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 16/03/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा जिला-जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 66 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नम्बर 18 रकबा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन बेरा कुल खसरा-2 कुल रकबा 67 बीघा 10 बिस्वा आयी हुयी है। यह भूमि नानूराम पुत्र जीताराम जाट, मुकनाराम पुत्र बुधाराम जाट, आसूराम पुत्र कानाराम जाट की संयुक्त खातेदारी की थी। संयुक्त खातेदार नानूराम, मुकनाराम, आसूराम ने आपस में मिलकर अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 19.04.1973 को देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी, सूराराम पुत्र ऊर्जाराम सीरवी, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी, गुणेशराम पुत्र सूराराम सीरवी को रजिस्टर्ड बेचान कर दी। उक्त बैचाननामा दिनांक 19.04.1973 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या-608 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी का 1/4 हिस्सा,

सूराराम पुत्र ऊर्जाराम सीरवी का 1/4 हिस्सा, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी का 1/4 हिस्सा, गुणेशराम पुत्र सूराराम सीरवी का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी भूमि में बनता है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा जिला-जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 66 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 18 रकबा 10 बिस्वा के 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार गुणेशराम ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.09.1976 को राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति गोस्वामी निवासी बिलाड़ा हाल उदयपुर वालों को बैचान कर दिया, उक्त बैचाननामा दिनांक 10.09.1976 में संयुक्त खातेदार गुणेशराम ने अपना 1/4 हिस्सा होना स्वीकार किया है। तत्पश्चात संयुक्त खातेदार राकेश कुमार ने अपनी 1/4 हिस्से की खरीदशुदा भूमि को दिनांक 13.03.1978 को नाथाराम पुत्र केशाराम जाति सीरवी तथा चिमनाराम पुत्र जोगाराम सीरवी (वादी) को बैचान कर दी एवं बैचाननामा दिनांक 13.03.1978 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज कर दी गयी। तत्पश्चात नाथाराम पुत्र केशाराम ने अपने 1/8 हिस्से की संयुक्त खातेदारी भूमि को दिनांक 29.05.2008 को श्रीमती मंगलीदेवी पत्नी जोगाराम जाति सीरवी निवासी बिलाड़ा के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीश कर दिया गया, जो रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 29.05.2008 में अपना 1/8 हिस्सा होना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। ये जमीन पहले जहांगीर पुत्र युसुफ (ईसबां), अब्दुल गफूर, बाबू सलीम पिसरान जहांगीर जातियान मुसलमान निवासीगण बिलाड़ा की थी। संयुक्त खातेदार जहांगीर पुत्र युसुफ (ईसबां), अब्दुल गफूर, बाबू सलीम ने आपस में मिलकर अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 09.10.1974 को देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी, सूराराम पुत्र ऊर्जाराम सीरवी, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी, गुणेशराम पुत्र सूराराम सीरवी को रजिस्टर्ड बेचान कर दी। उक्त वैचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज की गयी है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी का 1/4 हिस्सा, सूराराम पुत्र ऊर्जाराम सीरवी का 1/4 हिस्सा, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी का 1/4 हिस्सा, गुणेशराम पुत्र सूराराम सीरवी का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी भूमि में बनता है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा जिला-जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा के 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार गुणेशराम ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.09.1976 को राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति गोस्वामी निवासी बिलाड़ा हाल उदयपुर वालों को बैचान कर दिया. उक्त बैचाननामा दिनांक 10.09.1976 में संयुक्त खातेदार गुणेशराम ने अपना 1/4 हिस्सा मानकर भूमि का बैचान किया गया है। तत्पश्चात संयुक्त खातेदार राकेश कुमार ने अपनी 1/4 हिस्से की खरीदशुदा भूमि को दिनांक 13.03. 1978 को नाथाराम पुत्र केशाराम जाति सीरवी तथा चिमनाराम पुत्र जोगाराम सीरवी (वादी) को बैचान कर दी एवं राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज कर दी गयी। तत्पश्चात नाथाराम पुत्र केशाराम ने अपनी खरीदशुदा 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/8 व० हिस्से की भूमि को दिनांक 29.05.2008 को श्रीमती मंगलीदेवी पत्नी जोगाराम जाति सीरवी निवासी बिलाड़ा के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीश कर दिया गया, जो रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 29.05.2008 में अपना 1/8 हिस्सा होना स्वीकार किया गया है। वादपत्र के पैरा सं. 5 में देवाराम, सूराराम व जोगाराम का सजरा वर्णित किया हुआ है। जोगाराम पुत्र नरसिंहराम का देहान्त हो गया, उसके देहान्त के बाद उसकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या-3292

उसके एक पुत्र भंवरलाल तथा तीन पुत्रीयां कंवरी देवी, गणकीदेवी, संतोष के नाम से इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात कंवरी देवी, गणकीदेवी, संतोष ने अपने अपने हिस्से का हकतर्क अपने सगे भाई भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जो हकतर्कनामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या-3549 स्वीकृत किया गया है. इस प्रकार भंवरलाल पुत्र जोगाराम दावे में प्रतिवादी संख्या 9 पक्षकार के रूप में संयोजित है। गुणेशराम पुत्र सूराराम 1/4 हिस्सा का सजरा खानदानः- गुणेशराम पुत्र सूराराम ने अपने जीवनकाल में अपनी 1/4 हिस्से की भूमि को दिनांक 10.09.1978 को राकेश कुमार को बैचान कर दी। तत्पश्चात राकेश कुमार ने अपनी खरीदशुदा 1/4 हिस्से की भूमि को दिनांक 13.03.1978 को नाथाराम पुत्र केशाराम सीरवी तथा चिमनाराम पुत्र जोगाराम सीरवी को बेचान कर दी। उसके बाद नाथाराम पुत्र केशाराम ने अपनी 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/8 हिस्से की भूमि को दिनांक 29.05.2008 को श्रीमती मंगलीदेवी पत्नी जोगाराम सीरवी निवासी बिलाड़ा को बख्शीश कर दिया। तत्पश्चात श्रीमती मंगलीदेवी का देहान्त हो गया, उसके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण उसकी तीन पुत्रीयां अचकी देवी, कंवरी देवी, दुर्गादेवी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, जो दावे में प्रतिवादी संख्या 10 से 12 पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी अभी सात दिन पहले अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गया और हल्का पटवारी जी ने वादी को जमाबंदी की नकल दी गयी तब वादी ने जमाबंदी की नकल को देखा तो उसमें वादी की भूमि का 1/8 हिस्सा के बजाय 1/5 हिस्सा दर्ज होना पाया तो वादी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वादी ने हल्का पटवारी जी को बताया कि वादी ने दिनांक 13.03.1978 को राकेश कुमार से उसका 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा को खरीद किया गया है, इस कारण वादी का सम्पूर्ण भूमि में 1/8 व० हिस्सा दर्ज होना चाहिए तब हल्का पटवारीजी ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं बैचाननामा का अवलोकन किया और वादी को बताया कि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में गुणेशराम पुत्र सूराराम का 1/4 हिस्सा में से नाथाराम पुत्र केशाराम का 1/8 हिस्सा तथा चिमनाराम पुत्र जोगाराम का 1/8 हिस्सा दर्ज नही कर नाथाराम पुत्र केशाराम का 1/5 हिस्सा तथा चिमनाराम पुत्र जोगाराम का 1/5 व० हिस्सा लिपिकीय भूलवश या त्रुटीवश दर्ज हो गया है। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादीगण को जमाबंदी में अपना हिस्सा सुधारने हेतु का निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने हिस्सा सुधारने से मना कर दिया, फिर भी वादी ने तहसीलदार जी के कार्यालय में जाकर अपना हिस्सा सुधारने हेतु का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार ने दस्तावेज देखकर वादी को बताया कि आप सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे तब न्यायालय निर्णय अनुसार आपका हिस्सा जमाबंदी में शुद्धि किया जायेगा। इस कारण वादी को अपना हिस्सा की शुद्धि कराने हेतु का यह घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण दिनांक 14.06.2023 को वादी हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गया और जमाबंदी में अपना हिस्सा गलत अंकित होना पाया तथा जमाबंदी में हिस्सा को दुरुस्त करने का प्रतिवादीगण को निवेदन किया तब प्रतिवादीगण ने हिस्सा सुधारने का इंकार करने पर बमुकाम ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-1 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो वाद कारण निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 10.8244 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

25 रकबा 1.1407 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 12.0460 हैक्टेयर में वादी का 1/8 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 का 1/16 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-2 का 1/16 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-3 का 1/64 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-4 का 1/64 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-5 का 1/64 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/64 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/16 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-8 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 9 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-10 का 1/24 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-11 का 1/24 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-12 का 1/24 वाँ हिस्सा खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावें एवं इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें । प्रतिवादी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा की घोषित भूमि को प्रतिवादी संख्या-13 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिलाड़ा के नाम रहन दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 13 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 14 सरकारी पेरोकार जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक 1 के खसरा नंबर 19 रकबा 66-18 बीघा, खसरा नंबर 18 रकबा 0-10-00 बीघा कुल खसरा 2 रकबा 67-10 बीघा आई हुई है। यह भूमि पूर्व में नानूराम पुत्र जीताराम जाट, मुकनाराम पुत्र बुधाराम जाट, आसुराम पुत्र कानाराम की संयुक्त खातेदारी में थी। जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के अनुसार पद स 1 में वर्णित भूमि नामा. 608 के जरिये देवाराम पुत्र नेथीराम 1/4, सूराराम पुत्र उर्जाराम 1/4, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम 1/4 व गुणेशराम पुत्र सुराराम 1/4 जाति सीरवी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। पद सं. 1 में वर्णित भूमि के खातेदार गुणेशराम पुत्र सूराराम द्वारा अपना 1/4 हिस्सा 10.9.1976 को राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति स्वामी को बेचान कर दिया। इसके पश्चात राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति स्वामी द्वारा उसी भूमि में 1/4 हिस्से का बैचान नाथाराम पुत्र केशाराम व चिमनाराम पुत्र जोगाराम बराबर हिस्से अनुसार दिनांक 13.3.1978 को बैचान कर दी। जिसमें नाथाराम का 1/8 व चिमनाराम का 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ। इसके पश्चात नाथाराम पुत्र केशाराम ने अपना 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 29.05.2008 को श्रीमति मंगलीदेवी पत्नी जोगाराम को बख्शीश कर दिया। मंगलीदेवी के फौत होने पर इनकी तीन पुत्रियां अचकीदेवी, कंवरीदेवी, दुर्गादेवी के नाम दर्ज होने पर तीनों का 1/24-1/24-1/24 हिस्सा निहित हुआ। ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 25 रकबा 7-01 बीघा आई हुई है। पूर्व में यह भूमि जहांगीर पुत्र युसुफ (ईसबां) अब्दुल गफुर, बाबू, सलीम पिसरान जहांगीर जाति मुसलमान निवासी बिलाडा की थी। पैरा सं. 7 में वर्णित भूमि को दिनांक 9.10.1974 को देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी, सूराराम पुत्र उर्जाराम सीरवी, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी, गुणेशराम पुत्र सुराराम सीरवी को रजिस्टर्ड बैचान कर दी गई। जिसमें प्रत्येक का 1/4-1/4-1/4-1/4 हिस्सा निहित हुआ। पद सं. 7 में वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार गुणेशराम द्वारा दिनांक 10.9.76 को उक्त भूमि का बैचाननामा राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी गोस्वामी को कर दिया जिसमें राकेशकुमार का 1/4 हिस्सा निहित हुआ। इसके पश्चात राकेश कुमार द्वारा अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 13.3.1978 को नाथाराम पुत्र

केशाराम व चिमनाराम पुत्र जोगाराम सीरवी (वादी) को बराबर-बराबर बैचान किया जिसमें नाथाराम का 1/8 व चिमनाराम का 1/8 हिस्सा निहित हुआ। इसके पश्चात नाथाराम पुत्र केशाराम द्वारा अपनी खरीदशुदा संयुक्त खातेदारी भूमि का 1/8 वां हिस्सा की भूमि को दिनांक 29.05.2008 को श्रीमति मंगलीदेवी पत्नी जोगाराम जाति सीरवी निवासी बिलाडा को रजिस्टर्ड बख्शीश कर दी। जिसमें मंगलीदेवी का 1/8 हि. निहित हुआ। मंगलीदेवी के फौत हो जाने से इनकी पुत्रियां अजकीदेवी, कंवरीदेवी व दुर्गादेवी के नाम 1/8 निहित हिस्से अनुसार मंगलीदेवी के स्थान पर अजकीदेवी 1/2, कंवरीदेवी 1/24, दुर्गादेवी का 1/12 हिस्सा निहित हुआ। जोगाराम पुत्र नरसिंहराम के फौत होने पर नामा. सं. 3292 दिनांक 4.1.2017 के जरिये जोगाराम के हिस्से में भंवरलाल 1/18, कंवरीदेवी 1/16, गणकीदेवी 1/16, संतोष 1/16 दर्ज हुआ। कंवरीदेवी, गणकीदेवी व संतोष द्वारा हकत्याग करने पर पूरे खाते में भंवरलाल पुत्र जोगाराम का 1/4 हिस्सा निहित हुआ। पद सं. 1 व 7 में वर्णित भूमि में देवीराम पुत्र नेथीराम 1/4 के फौत होने पर कुनाराम 1/16, हिमताराम 1/16, गेनाराम 1/16, जिमनाई पुत्री देवाराम 1/16 हिस्सा निहित हुआ। देवीराम पुत्र नेथीराम के पुत्र गेनाराम 1/16 के फौत होने पर राकेश पुत्र गेनाराम 1/64, विनोद पुत्र गेनाराम 1/64, जगदीश पुत्र गेनाराम 1/64 व गीतादेवी पत्नी गेनाराम 1/64 हिस्सा निहित हुआ। वादीगण सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय गलत हिस्से दर्ज हो जाने से सही हिस्से दर्ज करवाना चाहते है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 19 रकबा 10.8244 हैक्टयर, खसरा नंबर 18 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नंबर 25 रकाब 1. 1407 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 12.0460 हैक्टयर निम्नानुसार हिस्से रहेंगे। वादी चिमनाराम पुत्र जोगाराम 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 1 कुनाराम पुत्र देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 हिम्मताराम पुत्र देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 राकेश पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 विनोद पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 जगदीश पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 गीतादेवी पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 जिमनाई पत्नी देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 सुखराम पुत्र उर्जाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 भंवरलाल पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अचकी देवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 कंवरीदेवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 दुर्गादेवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा उपरोक्तानुसार हिस्से दर्ज किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में के साथ संलग्न वृक्ष वंशावली इसी जवाब का भाग में शामिल है। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 12 की ओर सहमति प्रदान की जाने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र चिमनाराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 के खाता सं. 19, 18 ग्राम बिलाडा चक नंबर 1, प्रदर्श 2 बैचाननामा जीताराम बहक देवाराम दिनांक 19.04.1973, प्रदर्श 3 नामान्तरकरण सं. 608, प्रदर्श 4 बैचाननामा राकेश कुमार बहक नाथाराम दिनांक 13.03.1978, प्रदर्श 5 बख्शीशनामा नाथाराम बहक मंगली देवी

दिनांक 29.05.2008, प्रदर्श 6 बैचाननामा जहांगीर बहक गणेशराम दिनांक 09.10.1974 आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 तहसील बिलाडा के वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 19 व खसरा नंबर 18 के पूर्व खातेदार नानूराम पुत्र जीताराम जाट, मुकनाराम पुत्र बुधाराम जाट, आसूराम पुत्र कानाराम जाट की संयुक्त खातेदारी की थी जिसकी पुष्टि वादपत्र में फार्म नं. 3 के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2026-2029 से की गई। खातेदार नानूराम पुत्र जीताराम, मुकनाराम पुत्र बुधाराम, आसूराम पुत्र कानाराम कौम जाट द्वारा खसरा नंबर 18 व खसरा नंबर 19 का बैचान खातेदार देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी, सूराराम पुत्र ऊर्जाराम सीरवी, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी, गुणेशराम पुत्र सूराराम सीरवी को बैचान कर दिया गया जिनका प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। उक्त बैचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण सं. 608 स्वीकृत किया गया जिसकी प्रति फार्म नं. 3 के साथ संलग्न है। इसी प्रकार खातेदार गुणेशराम ने अपने हिस्से में निहित 1/4 भूमि का खातेदार राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति गोस्वामी निवासी बिलाडा हाल उदयपुर वालों को दिनांक 10.09.1976 को बैचान कर दिया गया, जिसका बैचाननामा फार्म नं. 3 के साथ संलग्न है। इसी प्रकार खातेदार राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति गोस्वामी द्वारा अपने हिस्से 1/4 के बंट को खातेदार नाथाराम पुत्र केशाराम जाति सीरवी व चिमनाराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी को दिनांक 13.3.1978 को बैचान कर दिया गया, जिसका बैचाननामा फार्म नं. 3 के साथ संलग्न है। इसी प्रकार खातेदार नाथाराम पुत्र केशाराम अपने हिस्से 1/8 को खातेदार श्रीमति मंगली देवी पत्नी जोगाराम जाति सीरवी को बैचान कर दी गई, जिसकी पुष्टि फार्म नं. 3 के साथ संलग्न रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 29.05.2008 से की गई। इसी प्रकार ग्राम बिलाडा चक सं. 1 तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 25 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा के पूर्व खातेदार जहांगीर पुत्र युसुफ (ईसबां), अब्दुल गफुर, बाबू सलीम पिसरान जहांगीर जातियान मुसलमान निवासीगण बिलाडा के नाम से इन्द्राज थी। संयुक्त खातेदार जहांगीर पुत्र युसुफ (ईसबां), अब्दुल गफूर, बाबू सलीम ने आपस में मिलकर अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 09.10.1974 को देवाराम पुत्र नेथीराम सीरवी, सूराराम पुत्र ऊर्जाराम सीरवी, जोगाराम पुत्र नरसिंहराम सीरवी, गुणेशराम पुत्र सूराराम सीरवी को रजिस्टर्ड बैचान कर दी जिनके प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। खातेदार गुणेशराम ने अपने हिस्से में निहित में भूमि का बैचान खातेदार राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति गोस्वामी निवासी बिलाडा हाल उदयपुर वालों को दिनांक 10.09.1976 को बैचान कर दिया गया। इसी प्रकार खातेदार राकेश कुमार पुत्र पृथ्वीगिरी जाति गोस्वामी द्वारा अपने हिस्से के बंट को खातेदार नाथाराम पुत्र केशाराम जाति सीरवी व चिमनाराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी को दिनांक 13.3.1978 को बैचान कर दिया गया। इसी प्रकार खातेदार नाथाराम पुत्र केशाराम अपने हिस्से 1/8 को खातेदार श्रीमति मंगली देवी पत्नी जोगाराम जाति सीरवी को बैचान कर दी गई। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार मंगलीदेवी के फौत हो जाने से इनकी पुत्रियां अजकीदेवी, कंवरीदेवी व दुर्गादेवी के नाम 1/8 निहित हिस्से अनुसार मंगलीदेवी के स्थान पर अजकी देवी 1/2, कंवरीदेवी 1/24, दुर्गादेवी का 1/12 हिस्सा निहित हुआ। इसी प्रकार जोगाराम पुत्र नरसिंहराम के फौत होने पर नामा. सं. 3292 दिनांक 4.1.2017 के जरिये जोगाराम के हिस्से में भंवरलाल 1/16, कंवरी देवी 1/16, गणकी देवी 1/16, संतोष 1/16 दर्ज हुआ। कंवरी देवी, गणकी देवी व संतोष द्वारा हकत्याग करने पर पूरे खाते में

भंवरलाल पुत्र जोगाराम का 1/4 हिस्सा निहित हुआ। इसी प्रकार देवीराम पुत्र नेथीराम के पुत्र गेनाराम के फौत होने पर राकेश पुत्र गेनाराम 1/64, विनोद पुत्र गेनाराम 1/64, जगदीश पुत्र गेनाराम 1/64 व गीतादेवी पत्नी गेनाराम 1/64 हिस्सा निहित हुआ। वादीगण रोगीगेशन के दौरान ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय गलत हिस्से दर्ज हो जाने से सही हिस्से दर्ज करवाना चाहते है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक 1 के तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 18, खसरा नंबर 19 व खसरा नंबर 25 कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 12.0460 हैक्टेयर में वादी चिमनाराम पुत्र जोगाराम 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 1 कुनाराम पुत्र देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 हिम्मताराम पुत्र देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 राकेश पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 विनोद पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 जगदीश पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 गीतादेवी पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 जिमनाई पत्नी देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 सुराराम पुत्र उर्जाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 भंवरलाल पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अचकी देवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 कंवरीदेवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 दुर्गादेवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्से दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/03/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
चिमनाराम फुन्नाराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 63/2023

निर्णय **दिनांक :-** 16/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 से 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 14 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 1 के तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 18, खसरा नंबर 19 व खसरा नंबर 25 कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 12.0460 हैक्टेयर में वादी चिमनाराम पुत्र जोगाराम 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 1 कुनाराम पुत्र देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 हिम्मताराम पुत्र देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 राकेश पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 विनोद पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 जगदीश पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 गीतादेवी पुत्र गेनाराम 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 जिमनाई पत्नी देवीराम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 सुराराम पुत्र उर्जाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 भंवरलाल पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अचकी देवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 कंवरीदेवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 दुर्गादेवी पुत्री मंगलीदेवी 1/24 हिस्से दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा